न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबूलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 114/2009 {RCMS 2009/00034}

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. हेमराज पुत्र भंवरलाल
2. श्रीकांत पुत्र हेमराज
3. सुमन पत्नी हेमराज जाति माहेश्वरी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. सीताराम दास महाराज चेला श्री 108 स्व. श्रीरामनिवास दास महाराज बड़ला बास लिचाणा तहसील नावां जिला नागौर
5. भंवरलाल मान्धनिया चेरिटेबल ट्रस्ट, कुचामनसिटी ट्रस्टी श्रीमती सुमन देवी पत्नी हेमराज माहेश्वरी साकिन कुचामनसिटी
6. मांगीलाल पुत्र धन्नाराम जाति जांगिड़ कुचामनसिटी
7. भगवती देवी पत्नी गिरधारीलाल जाट निवासी कुचामनसिटी

दावा :— अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955
उपस्थित :— राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनॉक :— 30.9.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2274 रकबा 2.69 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय राजस्व रेकार्ड सम्वत 2065—2068 के अनुसार प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि दर्ज है, प्रतिवादी हेमराज श्रीकांत सुमन ने 1681.76 वर्ग मीटर भूमि मे चार दीवारी बनाकर, प्रतिवादी सीताराम ने 0.32 हैक्टर में पक्की चार दीवारी बनाकर, प्रतिवादी भंवरलाल ने 0.50 हैक्टर में मकान बनाकर, प्रतिवादी मांगीलाल ने 207.12 वर्गमीटर मं पक्का मकान बनाकर, प्रतिवादी भगवती देवी ने 237.82 वर्ग मीटर में पक्का मकान बनाकर उक्त भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के कृ[illegible] अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचन[illegible] ने उपरोक्त भूमि [illegible] भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी ह[illegible] कुचामनसिटी ने पे[illegible] जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 18.06.2009 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act सं. 1/09, 2/09, 3/09, 04/09, 05/09 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है अतः ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2274 रकबा 2.69 हैक्टर को राजकीय दर्ज कर मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये अखबार स्याहा सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनॉक 27.02.2020 दैनिक नवज्योति अंक के पेज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल मिसल की गई, प्रतिवादीगण को आवाजे लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में धारा 90 ए के तहत कार्यवाही रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी नकल सम्वत 2062-2065, की प्रमाणित प्रति, एवं चालू जमाबन्दी 2074-2077 की नकल प्रस्तुत की।

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2274 रकबा 2.69 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुज्ञा प्राप्त किये पक्के निर्माण एवं चार दिवारी का निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2062-2065 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2274 रकबा 2.69 हैक्टर में प्रतिवादीगण की सह खातेदारान के साथ में दर्ज चली आ रही है, वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :-

ग्राम का नाम :- कुचामनसिटी	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- कुचामनसिटी	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 870
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 818
काश्तकार का नाम:-	
1. गिरधारीराम पुत्र बुद्धाराम हिस्सा- 6503/672500 जाति- जाट सा. [illegible]	
2. नगरपालिका कुचामनसिटी हिस्सा- 50069/269000 संस्था के लिए	
3. नारायणराम पुत्र गंगाराम हिस्सा- 11891/1345000 जाति- जाट सा. अडवसर खातेदार	
4. पप्पीदेवी पत्नि नारायणराम हिस्सा- 11891/1345000 जाति- जाट सा. अडवसर खातेदार	
5. भगवतीदेवी पत्नि गिरधारीलाल हिस्सा- 11891/1345000 जाति- जाट सा. देह खातेदार	
6. भंवरलाल पुत्र कजोड़मल हिस्सा- 5811/1345000 जाति- कुमावत सा. देह खातेदार	
7. भँवरलाल मानधनिया चेरीटेबल ट्रस्ट कुचामनसिटी ट्रस्टी सुमनदेवी पत्नि हेमराज हिस्सा- 50/269 जाति- माहेश्वरी सा. देह खातेदार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम का नाम :- कुचामनसिटी	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- कुचामनसिटी	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 870
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 818

8. मूलाराम पुत्र बनाराम हिस्सा- 929/134500 जाति- जाट सा. हीराणी खातेदार

9. माँगीलाल पुत्र धन्नाराम हिस्सा- 6503/672500 जाति- खाती सा. देह खातेदार

10. रूघनाथ पुत्र मांगूराम हिस्सा- 29947/2690000 जाति- जाट सा. खण्डेला तह.फूलेरा खातेदार

11. श्रवणकुमार पुत्र बिरदीचंद हिस्सा- 3251/1345000 जाति- जांगिड सा. भांवता खातेदार

12. श्रवणकुमार पुत्र गणपलाल हिस्सा- 3251/1345000 जाति- जांगिड सा. भांवता खातेदार

13. श्री कान्त पुत्र हेमराज हिस्सा- 37/269 जाति- माहेश्वरी सा.देह खातेदार

14. श्रीश्री 108 श्री सीतारामदासजी महाराज चेला रामनिवासदास हिस्सा- 32/269 सा. लिचाणा खातेदार अ.विव.- महाराज सा.बङला धाम (लिचाणा) 0.32 है.

15. सुमनदेवी पत्नि हेमराज हिस्सा- 10227/107600 जाति- माहेश्वरी सा.देह खातेदार

17. हेमराज पुत्र भँवरलाल हिस्सा- 10227/107600 जाति- माहेश्वरी सा.देह खातेदार

16. हेमराज दत्तक पुत्र भँवरलाल हिस्सा- 10227/107600 जाति- माहेश्वरी सा.देह खातेदार

18. हरदेवाराम पुत्र नारायणराम हिस्सा- 17881/1345000 जाति- जाट सा. रामपुरा खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
2274	2.6900	बारानी 3	2.6900	13.45		नोट नं. 0 से खसरा संख्या : 2274 पर RAA नागौर अपील सं.	
						49/2016 दिनांक 18.03.16 गोरूराम बनाम किशनलाल नोट लगा हुआ	
						है।	
						नोट नं. 38 से खसरा संख्या : 2274 पर संभागीय आयुक्त	
						के रतनलाल बनाम गौरूराम मुकदमा नंबर 259/2019 दिनांक	
						27/012/2019 व श्रीमान तहसीलदार कुचामनसिटी के आदेश	
						क्रमांक/भू.अ./82 दिनांक 31/01/2020 की पालना में राजस्व	
						रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश है। नोट लगा हुआ है।	
कुल खसरे - 1	2.6900		2.6900	13.4500			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादीगण का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में से प्रतिवादीगण ने भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा मौके पर पक्के [illegible] चार दीवारी का निर्माण कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकी[illegible] लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 2274 कुल रकबा 2.69 में प्रतिवादी हेमराज श्रीकांत सुमन के हिस्से में से 1681.76 वर्ग मीटर भूमि, प्रतिवादी सीताराम की 0.32 हैक्टर, प्रतिवादी भंवरलाल मान्धनिया चेरिटेबल ट्रस्ट कुचामनसिटी की 0.50 हैक्टर प्रतिवादी मांगीलाल के हक हिस्से अर्थात 6503/672500, प्रतिवादी भगवती देवी के हक हिस्से की 11891/1345000, के हक हिस्से की भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) कम कर राजकीय दर्ज करते हुए उपरोक्त भूमि को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 30/9/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **बाबूलाल जाट** (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 114/2009 {RCMS 2009/00034}

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. हेमराज पुत्र भंवरलाल
2. श्रीकांत पुत्र हेमराज
3. सुमन पत्नी हेमराज जाति माहेश्वरी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. सीताराम दास महाराज चेला श्री 108 स्व. श्रीरामनिवास दास महाराज बड़ला बास लिचाणा तहसील नावां
5. भंवरलाल मान्धनिया चेरिटेबल ट्रस्ट, कुचामनसिटी ट्रस्टी श्रीमती सुमन देवी पत्नी हेमराज माहेश्वरी साकिन कुचामनसिटी
6. मांगीलाल पुत्र धन्नाराम जाति जांगिड़ कुचामनसिटी
7. भगवतीदेवी पत्नी गिरधारीलाल जाट निवासी कुचामनसिटी

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 2274 कुल रकबा 2.69 में प्रतिवादी हेमराज श्रीकांत सुमन के हिस्से में से 1681.76 वर्ग मीटर भूमि, प्रतिवादी सीताराम की 0.32 हैक्टर, प्रतिवादी भंवरलाल मान्धनिया चेरिटेबल ट्रस्ट कुचामनसिटी की 0.50 हैक्टर प्रतिवादी मांगीलाल के हक हिस्से अर्थात 6503/672500, प्रतिवादी भगवती देवी के हक हिस्से की 11891/1345000, के हक हिस्से की भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) कम कर राजकीय दर्ज करते हुए उपरोक्त भूमि को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत.................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 30/9/2021 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकिल			खर्चा [illegible]		
खर्चा गवाहन			फीस कमिष्नर		
फीस कमिष्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:36 IST
Reason: SelfAttested